

# छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 13.03.2013

क्रमांक एफ 1-56/2012/16 :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम 1996 का 27) की धारा 40 एवं 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के परामर्श पश्चात्, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) नियम 2008 के नियम 272 के उप-नियम (1) के प्रारूप 28 में निम्नलिखित संशोधन करती है। यह संशोधन भूतलक्षीय प्रभाव अर्थात् दिनांक 08 मई 2008 से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 272 के उप-नियम (1) के प्रारूप 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्रारूप- 28

(नियम 272 (1) देखिए)

हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र-

1. नाम .....
2. विशेष पहचान संख्या .....
3. पिता/पति का नाम .....
4. पता .....
- (एक) वर्तमान पता .....
- (दो) स्थायी पता .....
- मो./फोन .....
5. जाति-अजा/अजजा/अन्य/सामान्य (जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगायें) .....
6. आयु .....
7. विवाहित/अविवाहित/विधवा .....
- 8 नियोजन का विवरण :-

फोटो

स.क्र.	नियोजक का नाम तथा पता	क्या काम किया	दिनों की संख्या जिसके लिये वास्तविक रूप से नियोजित रहा (कितने दिन काय केय)	नियोजक के हस्ताक्षर/पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार सच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				

9 परिवार का विवरण :-

परिवार के मुखिया का नाम	सदस्यों का विवरण (नाम)	परिवार के मुखिया से संबंध	आयु
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	

10. मैं एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों..... पिता/पति को नामांकित करता हूँ।  
नामकित व्यक्ति मेरा पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/माता/साई/बहन/अन्य (विवरण दें) हैं। (जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगावें।)
11. यह कि मेरे आवेदन पत्र के उपरोक्त विवरण या तथ्य, मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं, यदि मेरी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मैं सहायता राशि नंडल को वापस करने हेतु वजनबद्ध रहूंगा।

आवेदनक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पंजीयन आदेश

आवेदन पत्र सत्य-असत्य के विवरण के सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत/निरस्त किया जाता है।

ग्राम निरीक्षक (हस्ताक्षर).....

कार्यालय.....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मानवीय)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, ग्राम विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर

**Govt. of Chhattisgarh  
Labour Department  
Mantralaya  
Mahanadi Bhavan, Naya Raipur**

**// NOTIFICATION //**

Raipur Date 13.03.2013

F.no. 1-55/2012/16 :- In exercise of the powers conferred by Section 40 and 60 of the Building & Other Construction Worker's (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Central Act No. 27 of 1996), the State Government, hereby, makes the following amendment in Form - XXVIII of sub-rule (1) of rule 272 of the Chhattisgarh Building and Other Construction Worker's (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 after consultation with the the Chhattisgarh Building and Other Construction Worker's welfare Board. This amendment shall come into force with retrospective effect from May, 2008, namely :-

**AMENDMENT**

In the said rules, -

For Form- XXVIII of sub-rule 1 of rule 272, the following form shall be substituted, namely :-

**FORM - XXVIII**

[See rule 272(1)]

**Application for Registration as Beneficiary**

1. Name
2. Number o Special Identity
3. Name of Father/Husband
4. Address  
(i) Current Address  
(ii) Permanent Address
5. Caste SC/ST/OBC/Other  
General
6. Age
7. Married/Unmarried/Widow
- 8 Description of Employment :-

.....	फोटो
.....	
.....	
.....	
.....	
..... M/Ph. No.....	
(Right with applicable)	
.....	

S.No.	Name and address of employer	What work done	Number of days for which actually in employment	Signature of employer/Registered Construction Workers Union
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				

9. Description of family :-

Name of family Head	Description Member (Name)	Relation of family Head	Age
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		


10. I hereby nominated the following person/persons..... father/husband .....  
 Nominated person/persons is my son/daughter/husband/wife/Mother/brother/sister/other . (Give detail) (Right with applicable)  
 11. That the facts of above detail of my application are true and correct of my knowledge if my information is wrong I will promise to return helping amount to the board.

Signature of Applicant/Mark of Thumb

Registration Order  
Application sanction/cancel after verification of description true/false

Labour Inspector (Signature).....  
Office.....

By order and in the name of  
Governor of Chhattisgarh

  
 (G.R. Malviya)  
 Deputy Secretary  
 Govt. of C.G. Labour Department,  
 Manralya, Naya Raipur